



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जी.जे.-अ.-16042021-226670
CG-GJ-E-16042021-226670

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 16, 2021/चैत्र 26, 1943

No. 179]

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 16, 2021/CHAITRA 26, 1943

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 12 अप्रैल, 2021

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बाज़ार अवसंरचना संस्था) विनियम, 2021

सं. आई.एफ.एस.सी.ए./2021-22/जी.एन./रेग्यु011.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 की उपधारा (1) और धारा 13 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (1); प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 29ख के साथ पठित धारा 4, धारा 8क और धारा 31; तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 23छ के साथ पठित धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

अध्याय I

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बाज़ार अवसंरचना संस्था) विनियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

(1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इसमें परिभाषित पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके नीचे दिए गए हैं और उनकी सजातीय अभिव्यक्तियों का अर्थान्वयन तदनुसार किया जाएगा:-

(क) किसी व्यक्ति के संबंध में “सहयुक्त” के अंतर्गत ऐसा अन्य व्यक्ति आएगा:

- i. जो स्वयं या अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रथम व्यक्ति पर नियंत्रण का प्रयोग करता है;
- ii. जो प्रथम व्यक्ति की कुल मतदान शक्ति के कम से कम बीस प्रतिशत पर नियंत्रण रखता है;
- iii. जो प्रथम व्यक्ति की नियंत्रणी कंपनी या कोई सहायक कंपनी है;
- iv. जो प्रथम व्यक्ति का नातेदार है;
- v. जो किसी ऐसे हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब का सदस्य है, जिसमें प्रथम व्यक्ति भी एक सदस्य है; या
- vi. ऐसे अन्य मामले, जहां प्राधिकरण की यह राय है कि किसी व्यक्ति को तथ्यों और कारकों के आधार पर, जिसके अंतर्गत नियंत्रण, स्वतंत्रता, हित-संघर्ष का विस्तार भी है, एक सहयुक्त समझा जाएगा;

(ख) “प्राधिकरण” से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) “समाशोधन निगम” से ऐसी इकाई अभिप्रेत है जो ऐसी प्रतिभूतियों या अन्य लिखतों या उत्पादों में, जिनके संबंध में किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में व्यवहार या व्यापार किया जाता है, सौदों के समाशोधन और परिनिर्धारण संबंधी क्रियाकलाप करने के लिए स्थापित की गई है और इसके अंतर्गत एक समाशोधन गृह भी है;

(घ) “समाशोधन सदस्य” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम में समाशोधन संबंधी अधिकार हैं;

(ङ) “निक्षेपागार अधिनियम” से निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) अभिप्रेत है;

(च) “विदेशी अधिकार-क्षेत्र” से भारत से भिन्न ऐसा देश अभिप्रेत है, जिसका प्रतिभूति बाज़ार विनियामक अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन के बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन का एक हस्ताक्षरकर्ता है (परिशिष्ट क हस्ताक्षरकर्ता) या प्राधिकरण के साथ हुए द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षरकर्ता है और जो वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के सार्वजनिक कथन में:

- i. ऐसे अधिकार-क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात नहीं है, जिसमें धनशोधन-रोधी या आतंकवाद का वित्तपोषण करने से रोकने संबंधी ऐसी कमियां हैं जिन्हें जवाबी-अध्युपाय लागू होते हैं; या
- ii. ऐसे अधिकार-क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात नहीं है, जिसने उन कमियों को दूर करने में पर्याप्त प्रगति नहीं की है या उन कमियों को दूर करने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के साथ विकसित की गई किसी कार्रवाई योजना के प्रति वचनबद्धता नहीं दिखाई है;

(छ) “शासी बोर्ड” से किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, किसी मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम या किसी मान्यताप्राप्त निक्षेपागार का निदेशक बोर्ड अभिप्रेत है;

(ज) “आई.एफ.एस.सी.ए. अधिनियम” से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) अभिप्रेत है;

(झ) “अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र” या “आई.एफ.एस.सी.” का वही अर्थ होगा जो आई.एफ.एस.सी.ए. अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (छ) के अधीन उनका है;

(ञ) “प्रमुख प्रबंध कार्मिक” के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति है जो किसी विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में या किसी ऐसी ज्येष्ठ कार्यपालक प्रास्थिति में सेवा कर रहा है, जो मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था में विभागाध्यक्षों के

पदक्रम में उच्चतर है या ऐसा कोई व्यक्ति जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी को या मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था के शासी बोर्ड में निदेशक को सीधे रिपोर्ट करता है या मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रबंध निदेशक से दो स्तर नीचे तक का कोई व्यक्ति या ऐसा कोई व्यक्ति जो उसकी नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा अभिज्ञात किया जाए;

(ट) “नेटिंग” से किसी समाशोधन निगम द्वारा प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय से उद्भूत होने वाली पारस्परिक बाध्यताओं या दावों का, जिसके अंतर्गत किसी समाशोधन सदस्य या व्यापारिक सदस्य या ग्राहक की दिवाला, परिसमापन, समापन या समाधान कार्यवाही पर या ऐसी किन्हीं अन्य परिस्थितियों में, जो समाशोधन निगम अपनी उप-विधियों में विनिर्दिष्ट करे, इसलिए भावी तारीख को परिनिर्धारण के लिए स्वीकार किए गए संव्यवहारों के संबंध में, जिससे कि शुद्ध दावे की मांग की जा सके या किसी शुद्ध बाध्यता की देनदारी हो सके, समाशोधन निगम या स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अवधारण से उद्भूत दावे और बाध्यताएं भी हैं, मुजरा या समायोजन करके किसी समाशोधन निगम के समाशोधन सदस्यों के शुद्ध संदाय या परिदान बाध्यताओं का अवधारण करना अभिप्रेत है;

(ठ) “नवाचार” से एक या अधिक मान्यताप्राप्त समाशोधन निगमों द्वारा प्रत्येक सौदे के पक्षकारों के बीच विधिक प्रति-पक्षकार बनने के लिए अंतरस्थापन करने का कार्य अभिप्रेत है;

(ड) “लोक हित निदेशक” से ऐसा स्वतंत्र निदेशक अभिप्रेत है जो किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में प्रतिभूति बाज़ार में निवेशकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और जिसका प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई ऐसा संबंध नहीं है, जो प्राधिकरण की राय में उसकी भूमिका के विरोध में है;

(ढ) “मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम” से प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में कोई समाशोधन निगम अभिप्रेत है;

(ण) “मान्यताप्राप्त निक्षेपागार” से प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में कोई निक्षेपागार अभिप्रेत है;

(त) “मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था” से कोई मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, कोई मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम या कोई मान्यताप्राप्त निक्षेपागार अभिप्रेत है;

(थ) “मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज” से प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में कोई स्टॉक एक्सचेंज अभिप्रेत है;

(द) “नियम” से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 अभिप्रेत है;

(ध) “एस.सी.आर.ए.” से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) अभिप्रेत है;

(न) “सेबी” से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अभिप्रेत है;

(प) “शेयरधारक निदेशक” से ऐसा निदेशक अभिप्रेत है, जो शेयरधारकों के हित का प्रतिनिधित्व करता है और जो ऐसे शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित या नामनिर्देशित किया जाता है;

(फ) “व्यापारिक सदस्य” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके पास किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में व्यापारिक अधिकार हैं।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु एस.सी.आर.ए., आई.एफ.एस.सी.ए. अधिनियम और भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992, निक्षेपागार अधिनियम, कंपनी अधिनियम, 2013 या उनके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों, उनके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों या यथास्थिति, उनके कानूनी उपांतरण या पुनर्अधिनियमन में क्रमशः उनके हैं।

अध्याय 2

मान्यता

मान्यता की ईप्सा करने के लिए आवेदन

3. कोई व्यक्ति किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में तब तक किसी स्टॉक एक्सचेंज, समाशोधन निगम या निक्षेपागार का संचालन, आयोजन या आयोजन में सहायता नहीं करेगा जब तक कि उसने इन विनियमों के अनुसार प्राधिकरण से मान्यता अभिप्राप्त न कर ली हो।
4. किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में बाज़ार अवसंरचना संस्था के रूप में मान्यता की ईप्सा करने वाला व्यक्ति, इन विनियमों के अधीन विहित शेयरधारिता संबंधी अपेक्षाओं के अनुपालन में किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में निगमित कोई कंपनी होगी।
5. किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में बाज़ार अवसंरचना संस्था के रूप में मान्यता के लिए आवेदन प्राधिकरण को उस प्ररूप और रीति में और उतनी फीस के साथ, जैसा प्राधिकरण द्वारा विहित किया जाए, प्रस्तुत किया जाएगा।
6. किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में, यथास्थिति, स्टॉक एक्सचेंज या समाशोधन निगम के रूप में मान्यता के लिए आवेदन के साथ एस.सी.आर.ए. की धारा 3 और धारा 4, विनियमों के नियम 5 और इन विनियमों में यथा-उपबंधित संगम ज्ञापन, संगम अनुच्छेद, उप-विधियों और अन्य दस्तावेजों की प्रति लगाई जाएगी।
7. किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में निक्षेपागार के रूप में मान्यता के लिए आवेदन के साथ निक्षेपागार की प्रारूप उप-विधियों की एक प्रति लगाई जाएगी।

मान्यता प्रदान करने के लिए अपेक्षाएं

8. (1) यथास्थिति, स्टॉक एक्सचेंज या समाशोधन निगम के रूप में मान्यता की ईप्सा करने वाला आवेदक निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेगा, अर्थात्:-
 - (क) आवेदक शेयरों द्वारा एक लिमिटेड कंपनी है;
 - (ख) आवेदक डिम्युचुअलाइज़्ड है;
 - (ग) आवेदक, उसके निदेशक और उसके शेयरधारक, जो शेयर धारित करते हैं या धारित करने का आशय रखते हैं, इन विनियमों में यथा-विनिर्दिष्ट उपयुक्त और उचित व्यक्ति हैं;
 - (घ) आवेदक इन विनियमों में विनिर्दिष्ट स्वामित्व और शासन ढांचे से संबंधित अपेक्षाओं को पूरा करता है;
 - (ङ) आवेदक इन विनियमों में विनिर्दिष्ट शुद्ध संपत्ति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है;
 - (च) आवेदक अपेक्षित सामर्थ्य को पूरा करता है, जिसके अंतर्गत उसकी वित्तीय हैसियत, कार्यात्मक विशेषज्ञता और आधारभूत ढांचा भी है।
- (2) स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता की ईप्सा करने वाला आवेदक, उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेगा, अर्थात्:-
 - (क) आवेदक के पास सौदों के व्यवस्थित निष्पादन के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना है;
 - (ख) आवेदक के पास आनलाइन स्क्रीन-आधारित व्यापार प्रणाली है;
 - (ग) आवेदक के पास एक ऐसी आनलाइन निगरानी क्षमता है, जो बाज़ार की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करने की दृष्टि से समयोचित स्थिति, कीमतें और मात्रा को मानीटर करती है;
 - (घ) आवेदक के पास अपने प्लेटफार्म पर, जहां कहीं भी लागू हो, व्यापार के लिए प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना है;
 - (ङ) आवेदक के पास व्यापारिक सदस्यों का व्यापक नेटवर्क रखने की आवश्यक क्षमता है और उसके पास अपने सदस्यों को प्रवेश देने और उन्हें विनियमित करने की पर्याप्त सुविधा है;

(च) आवेदक ने अपने व्यापारिक सदस्यों और समाशोधन निगम के साथ कनेक्टिविटी स्थापित करने के आवश्यक इंतज़ाम किए हैं;

(छ) आवेदक के पास सौदों और उनके परिनिर्धारण के कारण उद्भूत होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए पर्याप्त निवेशक शिकायत निवारण प्रणाली और माध्यस्थम् प्रणाली है;

(ज) आवेदक के पास सौदों, मात्राओं और समयोचित (रियल टाइम) बोली के बारे में कम से कम दो ऐसे सूचना वेंडिंग नेटवर्क को, जो निवेशकों को सुगम हैं, सूचना का प्रसार करने की सुविधा है;

(झ) आवेदक के पास कारबार निरन्तरता योजना द्वारा समर्थित, जिसके अंतर्गत आपदा पुनःप्राप्ति साइट भी है, पर्याप्त तंत्र-प्रणाली क्षमता है;

(ञ) आवेदक के पास अपने नियोजन में पर्याप्त संख्या में ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास पर्याप्त वृत्तिक और अन्य सुसंगत अनुभव है; और

(ट) ऐसी अन्य शर्तें, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

(3) समाशोधन निगम के रूप में मान्यता की ईप्सा करने वाला आवेदक, उप-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेगा, अर्थात्:-

(क) आवेदक के पास सौदों का समयबद्ध समाशोधन और परिनिर्धारण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक अवसंरचना है;

(ख) आवेदक के पास पर्याप्त जोखिम प्रबंधन प्रणाली है;

(ग) आवेदक के पास ऐसी परिनिर्धारण प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत नेटिंग, नवाचार और सौदों के परिनिर्धारण के लिए प्रत्याभूति भी है, जो कि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रीति के अनुसार है;

(घ) आवेदक के पास सौदों के परिनिर्धारण की प्रत्याभूति के लिए एक निधि स्थापित करने की क्षमता है;

(ङ) आवेदक के पास समाशोधन सदस्यों का एक व्यापक नेटवर्क रखने का सामर्थ्य है और उसके पास अपने सदस्यों को प्रवेश देने और उन्हें विनियमित करने की पर्याप्त सुविधा है;

(च) आवेदक ने निक्षेपागारों, समाशोधन बैंको, स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन सदस्यों के साथ कनेक्टिविटी स्थापित की है;

(छ) आवेदक के पास समाशोधित और परिनिर्धारित सौदों के आनलाइन/रियल टाइम जोखिम प्रबंधन के लिए पर्याप्त तंत्र क्षमता है और वह पर्याप्त कारबार निरन्तरता योजना द्वारा, जिसके अंतर्गत आपदा पुनःप्राप्ति साइट भी है, समर्थित है;

(ज) अपीलार्थी के पास उसके नियोजन में पर्याप्त संख्या में ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास प्राधिकरण के समाधानप्रद रूप में पर्याप्त वृत्तिक और अन्य सुसंगत अनुभव है;

(झ) अपीलार्थी के पास सौदों के समाशोधन और परिनिर्धारण से उद्भूत होने वाले विवादों को सुलझाने और शिकायतों के निवारण के लिए आवश्यक इंतज़ाम हैं;

(ञ) अपीलार्थी ने सौदों के समाशोधन और परिनिर्धारण की बाबत किसी निक्षेपागार और किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के साथ करार किया है; और

(ट) कोई अन्य शर्त, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

(4) निक्षेपागार के रूप में मान्यता की ईप्सा करने वाले आवेदक के पास किसी निक्षेपागार के दक्ष और व्यवस्थित कार्य संचालन के लिए आवश्यक संसाधन होंगे और वह विशेष रूप से निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करता है:-

(क) निक्षेपागार इन विनियमों में विनिर्दिष्ट शुद्ध संपत्ति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है;

(ख) उप-विधियां और विधिक दस्तावेज़, निक्षेपागार के उद्देश्य और निवेशकों के हितों की संरक्षा से संगत हैं;

- (ग) निक्षेपागार की स्वचलित डाटा प्रक्रमण प्रणाली को अप्राधिकृत पहुंच, परिवर्तन, विनाश, अभिलेखों और डाटा के प्रकटन या प्रसार से संरक्षित किया गया है;
- (घ) वह नेटवर्क, जिसके माध्यम से निक्षेपागार, भागीदारों, निर्गमनकर्ताओं और निर्गमनकर्ताओं के अधिकर्ताओं के बीच सतत इलैक्ट्रॉनिक संचार माध्यम स्थापित किए जाते हैं, अप्राधिकृत प्रवेश या पहुंच से सुरक्षित है;
- (ङ) निक्षेपागार ने निक्षेपागार, भागीदारों, निर्गमनकर्ताओं और निर्गमनकर्ताओं के अधिकर्ता के बीच इलैक्ट्रॉनिक संचार के लिए मानक परेषण और कूटलेखन (इनक्रिप्शन) फार्मेट स्थापित किया है;
- (च) निक्षेपागार, भागीदारों, निर्गमनकर्ताओं और निर्गमनकर्ताओं के अधिकर्ताओं को जोड़ने वाले परिसर, सुविधाओं, स्वचलित डाटा प्रक्रमण तंत्र, डाटा भंडारण स्थलों और सुविधाओं तक, जिसके अंतर्गत बैकअप स्थल और सुविधाएं भी हैं और इलैक्ट्रॉनिक डाटा संचार नेटवर्क तक भौतिक या इलैक्ट्रॉनिक पहुंच को नियंत्रित, मानीटर और अभिलिखित किया गया है;
- (छ) निक्षेपागार में विस्तृत प्रचालन संबंधी मैनुअल है, जिसमें उसके कार्यकरण के सभी पहलुओं को, जिसके अंतर्गत निक्षेपागार, निर्गमनकर्ताओं, निर्गमनकर्ताओं के अधिकर्ताओं, भागीदारों और हिताधिकारी स्वामियों के बीच जानकारी के परेषण की पद्धति भी है, स्पष्ट किया गया है;
- (ज) निक्षेपागार ने यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रक्रियाएं और सुविधाएं स्थापित की हैं कि उसका अभिलेख हानि या विनाश से संरक्षित है और निक्षेपागार से भिन्न अवस्थान पर बैकअप सुविधाएं रखने के इंतज़ाम किए गए हैं;
- (झ) निक्षेपागार ने हिताधिकारी स्वामियों की ऐसी किसी हानि की प्रतिपूर्ति करने के लिए, जो ऐसे हिताधिकारी स्वामियों को निक्षेपागार या उसके भागीदारों या निक्षेपागार या भागीदार के किसी कर्मचारी के सदोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम द्वारा कारित हो सकती है, पर्याप्त इंतज़ाम किए हैं, जिसके अंतर्गत बीमा भी है; और
- (ञ) कोई अन्य शर्त, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

मान्यता प्रदान करना

9. (1) प्राधिकरण, आवेदन पर विचार करने के पश्चात् और अपना यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक ने इन विनियमों में अधिकथित शर्तों का अनुपालन किया है और वह यथास्थिति, स्टॉक एक्सचेंज, समाशोधन निगम या निक्षेपागार के रूप में कार्य करने के लिए पात्र है, आवेदक को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो प्राधिकरण उचित समझे, मान्यता प्रदान कर सकेगा;

(2) मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था ऐसी अतिरिक्त शर्तों का अनुपालन करेगी, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की जाए।

10. किसी बाज़ार अवसंरचना संस्था को प्रदान की गई मान्यता की अवधि स्थायी या एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए होगी, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

विनियामक फीस

11. कोई मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था उतनी विनियामक फीस का संदाय करेगी, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।

मान्यता का नवीकरण

12. मान्यता प्रदान करने के संबंध में यथा-लागू इन विनियमों के उपबंध किसी बाज़ार अवसंरचना संस्था की मान्यता के नवीकरण के लिए किसी आवेदन के संबंध में भी लागू होंगे।

मान्यता का प्रत्याहरण

13. किसी बाज़ार अवसंरचना संस्था को प्रदान की गई मान्यता प्राधिकरण द्वारा सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् प्रत्याहृत की जा सकेगी:

परन्तु किसी स्टॉक एक्सचेंज या किसी समाशोधन निगम को प्रदान की गई मान्यता का प्रत्याहरण एस.सी.आर.ए. की धारा 5 के अधीन उपबंधित रीति में ही किया जाएगा।

शुद्ध संपत्ति संबंधी अपेक्षाएं

14. (1) किसी मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था की शुद्ध संपत्ति सभी समयों पर 3 मिलियन अमरीकी डॉलर होगी।

(2) प्राधिकरण, यदि अपेक्षित हो, किसी मान्यताप्राप्त बाज़ार संस्था के लिए इकाई के कारबार की प्रकृति और स्तर के आधार पर जोखिम प्रबंधन अध्यापय के रूप में उच्चतर शुद्ध संपत्ति विहित कर सकेगा।

15. प्रत्येक मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था, प्रत्येक वर्ष की 30 सितम्बर तक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए कानूनी लेखापरीक्षक से लेखापरीक्षित शुद्ध संपत्ति प्रमाणपत्र वार्षिक आधार पर प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगी।

शेयरधारिता संबंधी अपेक्षाएं

16. (1) किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में शेयरधारिता निम्नलिखित द्वारा धारण की जाएगी,-

(क) भारत में या किसी विदेशी अधिकार-क्षेत्र में मान्यताप्राप्त कोई स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की न्यूनतम छब्बीस प्रतिशत समादत्त साम्या शेयर पूंजी है; या

(ख) भारत में मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्थाओं, किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र या किसी विदेशी अधिकार-क्षेत्र का कोई ऐसा संघ, जिसमें मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की न्यूनतम इकावन प्रतिशत समादत्त साम्या शेयर पूंजी ऐसे संघ द्वारा धारित हो:

परन्तु भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों), किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र या किसी विदेशी अधिकार-क्षेत्र की संघ के भीतर शेयरधारिता इकावन प्रतिशत या अधिक होगी।

(2) भारत में कोई अन्य व्यक्ति, कोई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र या कोई विदेशी अधिकार-क्षेत्र किसी भी समय प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः या तो व्यक्ति रूप से या एकसाथ कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में पच्चीस प्रतिशत से अधिक समादत्त साम्या शेयर पूंजी अर्जित या धारित नहीं करेगा।

17. (1) किसी मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम में शेयरधारिता निम्नलिखित द्वारा धारण की जाएगी,-

(क) भारत में मान्यताप्राप्त कोई स्टॉक एक्सचेंज या कोई समाशोधन निगम, कोई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र या कोई विदेशी अधिकार-क्षेत्र, जिसमें मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम की न्यूनतम छब्बीस प्रतिशत समादत्त साम्या शेयर पूंजी है; या

(ख) भारत में मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्थाओं, किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र या किसी विदेशी अधिकार-क्षेत्र का कोई ऐसा संघ, जिसमें मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम की न्यूनतम इकावन प्रतिशत समादत्त साम्या शेयर पूंजी ऐसे संघ द्वारा धारित हो:

परन्तु भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों), किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र या किसी विदेशी अधिकार-क्षेत्र की संघ के भीतर शेयरधारिता इकावन प्रतिशत या उससे अधिक होगी।

(2) भारत में कोई अन्य व्यक्ति, कोई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र या कोई विदेशी अधिकार-क्षेत्र किसी भी समय प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः या तो व्यक्ति रूप से या एकसाथ कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम में पच्चीस प्रतिशत से अधिक समादत्त साम्या शेयर पूंजी अर्जित या धारित नहीं करेगा।

18. किसी मान्यताप्राप्त निक्षेपागार में शेयरधारिता निम्नलिखित द्वारा धारण की जाएगी,-

(क) भारत में मान्यताप्राप्त कोई निक्षेपागार या कोई विदेशी अधिकार-क्षेत्र जिसमें मान्यताप्राप्त निक्षेपागार की न्यूनतम छब्बीस प्रतिशत समादत्त साम्या शेयर पूंजी है; या

(ख) बाज़ार अवसंरचना संस्थाओं का कोई ऐसा संघ, जिसमें मान्यताप्राप्त निक्षेपागार की न्यूनतम इकावन प्रतिशत समादत्त साम्या शेयर पूंजी ऐसे संघ द्वारा धारित हो:

परन्तु भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों), किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र या किसी विदेशी अधिकार-क्षेत्र की संघ के भीतर शेयरधारिता इकावन प्रतिशत या उससे अधिक होगी।

(2) भारत में कोई अन्य व्यक्ति, कोई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र या कोई विदेशी अधिकार-क्षेत्र किसी भी समय प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः या तो व्यक्ति रूप से या एकसाथ कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर मान्यताप्राप्त निक्षेपागार में पञ्जीस प्रतिशत से अधिक समादत्त साम्या शेयर पूंजी अर्जित या धारित नहीं करेगा।

19. (1) ऐसे किसी व्यक्ति का, जो किसी मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः या तो व्यक्ति रूप से या एकसाथ कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ मिलकर दस प्रतिशत या उससे अधिक समादत्त साम्या शेयर पूंजी के साधारण शेयर या मतदान अधिकार अर्जित करता है, कोई हित-संघर्ष नहीं होगा और वह प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा।

(2) बाज़ार अवसंरचना संस्था उपयुक्त और समुचित अपेक्षाओं का अनुपालन करने के संबंध में ऐसे व्यक्तियों द्वारा दी गई घोषणाओं और वचनबंधों को सत्यापित करेगी और आवेदन को अपनी सिफारिश सहित अनुमोदन के लिए प्राधिकरण को अग्रेषित करेगी।

शेयरधारिता की मानिट्रिंग

20. मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था इन विनियमों में विनिर्दिष्ट शेयरधारिता संबंधी शर्तों का सभी समयों पर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त मानिट्रिंग प्रणाली बनाए रखेगी।

शेयरधारिता का प्रकटन

21. मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था प्रत्येक तिमाही के अंत से पन्द्रह दिन के भीतर तिमाही आधार पर अपनी शेयरधारिता के पैटर्न को प्राधिकरण को प्रकट करेगी, जिसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित होंगी,-

(क) दस सबसे बड़े शेयरधारकों के नाम, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या और प्रतिशतता सहित; और

(ख) उन शेयरधारकों के नाम, जिन्होंने उस तिमाही में शेयर अर्जित किए थे।

बाज़ार अवसंरचना संस्थाओं को सूचीबद्ध करना

22. कोई मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था, प्राधिकरण के अनुमोदन के अनुसरण में, अपनी प्रतिभूतियों को किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन कर सकेगी।

उपयुक्त और समुचित अपेक्षाएं

23. (1) मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि उसके सभी निदेशक, प्रबंधतंत्र के प्रमुख कार्मिक और शेयरधारक सभी समयों पर उपयुक्त और समुचित व्यक्ति हैं:

परन्तु किसी सूचीबद्ध मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था की बाबत शेयरधारकों के लिए उपयुक्त और समुचित व्यक्ति सुनिश्चित करने का भार निम्नलिखित पर होगा:

(क) मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था में पांच प्रतिशत से कम शेयरधारिता की बाबत, अर्जन करने वाला; और

(ख) मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था में पांच प्रतिशत या उससे अधिक शेयरधारिता की बाबत, अर्जन करने वाला और मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था।

(2) उप-विनियम (1) के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति उपयुक्त और समुचित व्यक्ति समझा जाएगा, यदि:

(क) ऐसे व्यक्ति की निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा के संबंध में सामान्य ख्याति और कीर्ति है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है किन्तु यहां तक सीमित नहीं है-

(i) वित्तीय सत्यनिष्ठा;

(ii) अच्छी ख्याति और चरित्र; और

(iii) ईमानदारी;

(ख) ऐसे व्यक्ति ने निम्नलिखित में से कोई भी निरर्हता उपगत नहीं की है -

- (i) उस व्यक्ति या उसके किसी पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंध भागीदार को किसी न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है या किसी आर्थिक अपराध या प्रतिभूति संबंधी विधियों के विरुद्ध किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है;
- (ii) उस व्यक्ति के विरुद्ध किसी वित्तीय विनियामक प्राधिकरण द्वारा कोई वसूली कार्यवाही संस्थित की गई है और वह लंबित है;
- (iii) उस व्यक्ति के विरुद्ध अपकरण के लिए समापन संबंधी कोई आदेश पारित किया गया है;
- (iv) उस व्यक्ति या उसके किसी पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंध भागीदार को दिवालिया घोषित किया गया है और उसे उन्मोचित नहीं किया गया है;
- (v) प्राधिकरण या किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा उस व्यक्ति या उसके किसी पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंध भागीदार को वित्तीय उत्पादों या वित्तीय सेवाओं में व्यवहार करने से या प्रतिभूति बाज़ार का निर्धारण करने से अवरुद्ध, प्रतिषिद्ध या वर्जित करने वाला कोई आदेश पारित किया गया है और उस आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई है;
- (vi) प्राधिकरण या किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा उस व्यक्ति या उसके किसी पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंध भागीदार के विरुद्ध ऐसा कोई अन्य आदेश पारित किया गया है जिसका संबंध प्रतिभूति बाज़ार से है और उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई है;
- (vii) उस व्यक्ति को सक्षम अधिकारिता वाले किसी न्यायालय द्वारा विकृत चित्त वाला पाया गया है और वह निष्कर्ष प्रवृत्त है;
- (viii) वह व्यक्ति वित्तीय दृष्टि से ठोस नहीं है और उसे जानबूझकर व्यतिक्रम करने वाले व्यक्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है;
- (ix) उस व्यक्ति को फरार आर्थिक अपराधी घोषित किया गया; या
- (x) ऐसी कोई अन्य निरर्हता, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

अध्याय 3

बाज़ार अवसंरचना संस्थाओं का शासन

शासन संबंधी मानदंड

24. (1) प्रत्येक मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था, भुगतान और बाज़ार अवसंरचना समिति (सी.पी.एम.आई.) और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति कमीशन संगठन (आई.ओ.एस.सी.ओ.) द्वारा वित्तीय बाज़ार अवसंरचनाओं के सिद्धांतों के अधीन विहित शासन के व्यापक सिद्धांतों और ऐसे अन्य शासन संबंधी मानदंडों को, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, अपनाएंगी।

(2) प्रत्येक मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था के शासी बोर्ड में, निम्नलिखित का अनुपालन करते हुए, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर शेयरधारक निदेशक, लोक हित निदेशक और प्रबंध निदेशक होंगे:-

- (क) अध्यक्ष का निर्वाचन शासी बोर्ड द्वारा लोक हित निदेशकों में से किया जाएगा;
- (ख) लोक हित निदेशकों की संख्या शेयरधारक निदेशकों की संख्या से कम नहीं होगी;
- (ग) प्रबंधक निदेशक को शेयरधारक निदेशकों के प्रवर्ग में शामिल किया जाएगा;
- (घ) प्रबंध निदेशक के अतिरिक्त, किसी मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था के किसी कर्मचारी को शासी बोर्ड में नियुक्त किया जा सकेगा और ऐसा निदेशक शेयरधारक निदेशक समझा जाएगा;

(ड) किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में व्यापारिक सदस्य या समाशोधन सदस्य या उनके सहयुक्त और अभिकर्ता (किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या किसी लोक वित्तीय संस्था के बोर्ड पर विद्यमान व्यक्तियों के सिवाय), किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम के शासी बोर्ड में नहीं होंगे;

(च) किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में निक्षेपागार भागीदार या उनके सहयुक्त और अभिकर्ता (किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या किसी लोक वित्तीय संस्था के बोर्ड पर विद्यमान व्यक्तियों के सिवाय), किसी मान्यताप्राप्त निक्षेपागार के शासी बोर्ड में नहीं होंगे;

(छ) किसी मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था के निदेशकों की नियुक्ति प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन और ऐसी अन्य अपेक्षाओं को, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, पूरा करने के अधीन होगी;

(ज) लोक हित निदेशक को तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिसे कार्य-निष्पादन के ऐसे पुनर्विलोकन के अधीन रहते हुए, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे, तीन वर्ष की एक और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा;

(झ) प्रबंध निदेशक की नियुक्ति 70 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के अधीन रहते हुए अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी:

परन्तु प्रबंध निदेशक को प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, पुनर्नियुक्त किया जा सकेगा।

(3) किसी मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था के शासी बोर्ड की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए और उसके कार्यकरण की प्रक्रिया का, जिसके अंतर्गत हित-संघर्ष को पहचानने, दूर करने और प्रबंधन की प्रक्रिया भी है, दस्तावेज़ीकरण किया जाना चाहिए।

(4) किसी मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था का शासी बोर्ड नियमित रूप से समग्र कार्य-निष्पादन और उसके व्यष्टिक निदेशकों के कार्य-निष्पादन का पुनर्विलोकन करेगा।

निदेशकों और प्रबंधतंत्र के प्रमुख कार्मिकों के लिए आचार संहिता

25. (1) किसी मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था का प्रत्येक निदेशक और प्रबंधतंत्र का प्रमुख कार्मिक ऐसी नैतिकता और आचार संहिता का पालन करेगा, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(2) प्राधिकरण, निदेशकों या प्रबंधतंत्र के प्रमुख कार्मिक द्वारा इन विनियमों या नैतिकता और आचार संहिता का पालन करने में असफल रहने पर या किसी हित-संघर्ष की दशा में, या तो मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था द्वारा निर्देश करने पर या स्वप्रेरणा से समुचित कार्रवाई कर सकेगा, जिसके अंतर्गत किसी निदेशक या प्रबंधतंत्र के प्रमुख कार्मिक को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् उन्हें हटाना या उनकी नियुक्ति का पर्यवसान करना भी है।

समितियां

26. कोई मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था ऐसी समितियां गठित करेगी, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं।

विनियामक विभागों का पृथक्करण

27. कोई मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था अपने विनियामक विभागों को अन्य विभागों से पृथक् करने के लिए एक उपयुक्त नीति अंगीकार करेगी।

अध्याय 4

मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम की साधारण बाध्यताएं

सौदों का समाशोधन और परिनिर्धारण

28. (1) कोई मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अपने सौदों के समाशोधन और परिनिर्धारण के लिए किसी मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम की सेवाओं का उपयोग उनके बीच हुए करार के अनुसार करेगा।

(2) कोई मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे स्टॉक एक्सचेंज में निष्पादित सौदों के समाशोधन और परिनिर्धारण से उद्भूत होने वाले विवादों या दावों के परिनिर्धारण के लिए अपनी माध्यस्थ प्रणाली प्रदान करेगा।

प्रतिभूतियों का ग्रहण किया जाना

29. यथास्थिति, कोई मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या कोई मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम, प्रतिभूतियों के किसी नए प्रवर्ग को शामिल करने या परिनिर्धारण की प्रस्थापना करने से पहले प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन की ईप्सा करेगा।

निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि

30. कोई मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज ऐसी निवेशक शिक्षण और संरक्षण निधि स्थापित करेगा, जो प्राधिकरण विनिर्दिष्ट करे।

परिनिर्धारण प्रत्याभूति निधि

31. (1) मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम, किसी स्टॉक एक्सचेंज में निष्पादित सौदों के परिनिर्धारण की प्रत्याभूति के लिए एक परिनिर्धारण प्रत्याभूति निधि स्थापित करेगा और उसे बनाए रखेगा।

(2) निधि में, कम से कम मासिक दबाव (स्ट्रेस) परीक्षण मूल्य द्वारा निकाले गया न्यूनतम अपेक्षित कोष के समतुल्य या एक मिलियन अमरीकी डॉलर, इनमें से जो भी उच्चतर हो, कोष होगा।

(3) किसी मान्यताप्राप्त समाशोधन सदस्य द्वारा अपनी परिनिर्धारण बाध्यताओं को पूरा करने में असफल रहने की दशा में, ऐसे परिनिर्धारण को पूरा करने के लिए निधि का उपयोग किया जाएगा।

(4) निधि का कोष, समाशोधन सदस्य (सदस्यों) के असफल होने के कारण उद्भूत होने वाली परिनिर्धारण बाध्यताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा।

(5) निधि के कोष की पर्याप्तता का परीक्षण, प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में आवधिक दबाव परीक्षणों द्वारा किया जाएगा।

(6) मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम, प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, परिनिर्धारण प्रत्याभूति निधि के लिए एक विस्तृत ढांचा तैयार करेगा।

व्यापार के घंटे और परिनिर्धारण

32. (1) समस्त उत्पाद प्रवर्गों के लिए व्यापार के घंटे वही होंगे जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा लागत-फायदा विश्लेषण के आधार पर विनिश्चित किए जाएं किन्तु वे एक दिन में 23 घंटे और 30 मिनट के अधिक नहीं होंगे और परिनिर्धारण एक दिन में कम से कम दो बार किया जाएगा।

(2) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम यह सुनिश्चित करेगा कि जोखिम प्रबंधन प्रणाली और अवसंरचना सभी समयों पर व्यापार के घंटों के अनुरूप हो।

जोखिम प्रबंधन

33. (1) प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और प्रत्येक मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम में जोखिम से व्यापक रूप से निपटने के लिए एक ठोस जोखिम प्रबंधन प्रणाली और अवसंरचना होगी।

(2) प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज ऐसे प्रत्येक उत्पाद के लिए, जिसके संबंध में व्यापार किया जाना है, लागू स्थिति सीमाओं के लिए एक विस्तृत ढांचा तैयार करेगा।

(3) प्रत्येक मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन ढांचा तैयार करेगा और निम्नलिखित बातों का पालन करेगा:

(क) जोखिम प्रबंधन ढांचा भुगतान और बाज़ार अवसंरचना समिति(सी.पी.एम.आई.) और वित्तीय बाज़ार अवसंरचनाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति कमीशन संगठन (आई.ओ.एस.सी.ओ.) के सिद्धांतों के अनुकूल होगा।

(ख) मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम, वैश्विक स्तर पर समाशोधन निगमों में विद्यमान सर्वोत्तम पद्धतियों के आधार पर एक मार्जिन संबंधी ढांचा तैयार करेगा।

(ग) मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम, प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम, कारबार जोखिम, विधिक और प्रचालन संबंधी जोखिम से पर्याप्त रूप से निपटने के लिए चालू आधार पर पूंजी रखेगा, जिसके अंतर्गत प्रतिधारित उपार्जन और आरक्षितियां भी हैं।

(घ) समाशोधन निगम, जोखिम प्रबंधन ढांचे की सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए दबाव (स्ट्रेस) परीक्षण, रिवर्स दबाव परीक्षण, बैंक परीक्षण, तरलता दबाव परीक्षण, आदि करेगा।

(ङ) समाशोधन निगम, समस्त उत्पाद प्रवर्गों में सौदों के लिए पात्र सांपार्श्विक के रूप में नकदी और विदेशी निक्षेपागारों के पास धारित भारतीय प्रतिभूतियों, विदेशी प्रतिभूतियों या स्वर्ण के समतुल्य नकदी (जिसके अंतर्गत प्रमुख विदेशी मुद्राएं, आवधिक निक्षेप रसीदें और किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र बैंककारी यूनिट द्वारा जारी की गई बैंक प्रतिभूतियां भी हैं) स्वीकार करेगा।

(च) सांपार्श्विक के रूप में नकदी और नकदी समतुल्य सभी समयों पर कुल तरल आस्तियों का कम से कम 50 प्रतिशत होगा।

(4) मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम को उसकी नियंत्री कंपनी से पृथक् रखा जाएगा।

(5) प्रत्येक मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम, प्रचालनों के व्यवस्थित समापन या वसूली के लिए अपेक्षित लागत को पूरा करने के लिए अतिरिक्त पूंजी धारण करेगा।

स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सौदों पर अस्थायी निलंबन

34. प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में ऋजु और व्यवस्थित सौदेबाजी के संवर्धन के लिए अस्थिरता के प्रत्युत्तर में या किसी कंपनी विशेष की घोषणाओं की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए बाज़ार या व्यष्टिक शेयर में सौदों के किसी अस्थायी निलंबन के लिए प्रक्रिया होगी।

स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सह-स्थान सुविधा

35. (1) ऐसा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, जो सह-स्थान सुविधाएं प्रदान कर रहा है, ऐसी सुविधाओं का पर्यवेक्षण और मानिटर करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि डाटा और व्यापार प्रणाली की अखंडता, सुरक्षा और गुप्तता सभी समयों पर बनी रहे।

(2) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा सह-स्थान सुविधाओं के माध्यम से भागीदारों को समान और उचित पहुंच उपलब्ध कराई जाए।

(3) सह-स्थान सुविधाएं प्रदान करने वाला मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, अपनी वेबसाइट पर उन विलंबताओं के बारे में, जो एक्सचेंज में पाई जाती हैं, तिमाही रिपोर्ट प्रकाशित करेगा।

कारबार निरन्तरता योजना और आपदा पुनःप्राप्ति

36. प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम उस रीति में, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, डाटा और सव्यवहार की सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए कारबार निरन्तरता योजना और आपदा पुनःप्राप्ति साइट रखेगा।

लाभों और निवेशों की उपयोगिता

37. (1) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम द्वारा लाभों और निवेशों का उपयोग प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

(2) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम ऐसा कोई क्रियाकलाप नहीं चलाएगा, जिसमें प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना निधियों का लगाया जाना अंतर्वलित हो:

परन्तु सरकारी निवेशों की दशा में प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन तब अपेक्षित नहीं होगा यदि ऐसे निवेश मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम के शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित निवेश नीति के अनुसार किए जाते हैं:

परन्तु यह और कि मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम किसी पृथक् विधिक इकाई की मार्फत और प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, ऐसे क्रियाकलापों में संलिप्त हो सकेगा जिसमें ऐसी निधियों का लगाया जाना अंतर्वलित हो या अन्यथा जो यथास्थिति, स्टॉक एक्सचेंज या समाशोधन निगम के रूप में उसके क्रियाकलाप से असंबद्ध है या आनुषंगिक नहीं है।

समान, ऋजु और पारदर्शी पहुंच

38. (1) मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम यह सुनिश्चित करने के लिए नीति संबंधी एक ढांचा अधिकथित करेगा कि शेयरधारक स्टॉक एक्सचेंज में निष्पादित और गैर-शेयरधारक स्टॉक एक्सचेंज में निष्पादित सौदों के परिनिर्धारण में समाशोधन और परिनिर्धारण सेवाएं प्रदान करते समय कोई भेदभाव न हो।

(2) यह ढांचा, समाशोधन निगम की वैबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा और उसमें उस आधार के बारे में, जिस पर शेयरधारक स्टॉक एक्सचेंज को समाशोधन निगम की समाशोधन और परिनिर्धारण सेवाओं तक पहुंच प्रदान की गई है और उस रीति के बारे में, जिसमें गैर-शेयरधारक स्टॉक एक्सचेंज द्वारा समाशोधन और परिनिर्धारण सेवाओं तक पहुंच अभिप्राप्त करने के लिए उक्त अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाना चाहिए, उपबंध किया जाएगा।

(3) यथास्थिति, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम, सभी व्यक्तियों को, उनके सहयुक्तों और संबद्ध इकाइयों के प्रति किसी भेदभाव के बिना समान, अनिर्बंधित, पारदर्शी और उचित पहुंच सुनिश्चित करेगा।

लेखा-बहिया और अभिलेख रखना

39. (1) प्रत्येक मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, नियमों के नियम 14 में निर्दिष्ट लेखा-बहियां और दस्तावेज़ और ऐसे अन्य अभिलेख, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं, कम से कम बीस वर्ष की अवधि के लिए इलैक्ट्रॉनिक पुनःप्राप्ति (रिट्रीवल) रूप में रखेगा और उन्हें परिरक्षित रखेगा।

(2) प्रत्येक मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम निम्नलिखित लेखा-बहियां और दस्तावेज़ कम से कम बीस वर्ष के लिए इलैक्ट्रॉनिक पुनःप्राप्ति रूप में रखेगा और उन्हें परिरक्षित रखेगा, अर्थात्:-

(क) निम्नलिखित की बैठकों की कार्यवृत्त पुस्तिका:

(i) शासी बोर्ड;

(ii) शासी बोर्ड की कोई समिति;

(ख) समाशोधन सदस्यों के अभिलेख, जिसमें उनके पूरे नाम, पते और परिनिर्धारण प्रयोजनों के लिए बैंक और निक्षेपागार खातों के ब्यौरे दर्शाए गए हों;

(ग) संव्यवहार अभिलेख;

(घ) प्रतिभूति निक्षेपों का अभिलेख;

(ङ) मार्जिन निक्षेप पुस्तिका;

(च) ग्राहक मार्जिन संग्रहण ब्यौरे;

(छ) बही खाते;

(ज) रोजनामचे;

(झ) रोकड़ बही;

(ञ) बैंक खाता विवरणी;

(ट) ऐसा कोई अन्य अभिलेख, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

उप-विधियां और नियम

40. (1) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम, प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से, संविदाओं और यथास्थिति, समाशोधन और परिनिर्धारण के विनियमन के लिए उप-विधियां बनाएगा।

(2) मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम की उप-विधियों में प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना संशोधन नहीं किया जाएगा।

(3) ऐसे किसी संगम ज्ञापन, संगम अनुच्छेद या गठन संबंधी किसी अन्य दस्तावेज में, जहां तक उनका संबंध एस.सी.आर.ए. की धारा 3 में या इन विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट विषयों से है, प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के सिवाय संशोधन नहीं किया जाएगा।

परिनिर्धारण और नेटिंग

41. (1) किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम में हुए किसी संव्यवहार की बाबत किए गए भुगतान और परिनिर्धारण का अवधारण, प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से ऐसे मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम की उप-विधियों में यथा-विनिर्दिष्ट नेटिंग या सकल प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(2) किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम की उप-विधियों के अधीन उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट पक्षकारों के बीच हुए किसी संव्यवहार की बाबत किया गया भुगतान और परिनिर्धारण अंतिम, अप्रतिसंहरणीय और ऐसे पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

(3) जब कोई परिनिर्धारण अंतिम और अप्रतिसंहरणीय हो गया है तब व्यापारिक सदस्य, समाशोधन सदस्य या ग्राहक द्वारा मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम की उप-विधियों के अनुसार उसके परिनिर्धारण या अन्य बाध्यताओं मद्धे किए गए सांपार्श्विकों या निक्षेपों या मार्जिनों का समायोजन करने संबंधी यथास्थिति, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम के अधिकार को, यथास्थिति, उक्त व्यापारिक सदस्य, समाशोधन सदस्य या ग्राहक के किसी अन्य दायित्व या उनके विरुद्ध किसी दावे के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी।

स्पष्टीकरण – शंकाओं के निवारण के लिए, इस विनियम में निर्दिष्ट परिनिर्धारण, चाहे वह सकल हो या शुद्ध, उस समय अंतिम और अप्रतिसंहरणीय हो जाता है जैसे ही ऐसे परिनिर्धारण के परिणामस्वरूप संदेय धन, प्रतिभूतियां या अन्य संव्यवहारों का अवधारण हो जाता है, चाहे ऐसा धन, प्रतिभूतियां या अन्य संव्यवहारों का वास्तव में भुगतान किया गया हो अथवा नहीं।

वस्तु डेरिवेटिव में समाशोधन निगम की बाध्यता

42. ऐसा मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम, जो वस्तु डेरिवेटिव के लिए ऐसी समाशोधन और परिनिर्धारण सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिसकी परिणति वास्तविक परिनिर्धारण में होती है, सौदों के परिनिर्धारण के लिए वित्तीय प्रत्याभूति, जिसके अंतर्गत उचित परिदान भी है, सुनिश्चित करेगा।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रयोजनार्थ, “उचित परिदान” से माल का ऐसा परिदान अभिप्रेत होगा, जो हक अंतरित करने के लिए उचित रूप में है और उसकी क्वालिटी और मात्रा संबंधित एक्सचेंज के संविदागत विनिर्देशों के अनुसार है।

समाशोधन निगम का अधिकार

43. किसी मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम के अपने समाशोधन सदस्यों से उनके समाशोधन और परिनिर्धारण कृत्यों के निर्वहन से उद्भूत होने वाले देयों की वसूली समाशोधन सदस्यों के सांपार्श्विकों, निक्षेपों और आस्तियों से करने के अधिकार को समाशोधन सदस्यों के किसी अन्य दायित्व या उनके विरुद्ध किसी दावे के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी।

अध्याय 5

मान्यताप्राप्त निक्षेपागार की साधारण बाध्यताएं

अभौतिकीकरण (डिमाँटिरियलाइजेशन) के लिए पात्र प्रतिभूतियां

44. एस.सी.आर.ए. के अधीन परिभाषित सभी प्रतिभूतियां और आई.एफ.एस.सी.ए. अधिनियम के अधीन अन्य पात्र लिखतें, किसी मान्यताप्राप्त निक्षेपागार में अभौतिकीकृत रूप में धारण किए जाने के लिए पात्र होंगी।

निक्षेपागार और भागीदार के बीच करार

45. मान्यताप्राप्त निक्षेपागार एक या अधिक भागीदारों के साथ उसके अभिकर्ता के रूप में करार करेगा।

निक्षेपागार और निर्गमनकर्ताओं के बीच करार

46. (1) निर्गमनकर्ता या निवेशक द्वारा किसी मान्यताप्राप्त निक्षेपागार में अपनी प्रतिभूतियों को अभौतिकीकृत रूप में धारण करने के विकल्प का प्रयोग करने पर, निर्गमनकर्ता, निवेशक को प्रतिभूतियों को अभौतिकीकृत कराने में समर्थ बनाने के लिए, निक्षेपागार के साथ एक करार करेगा:

परन्तु वहां कोई करार करना अपेक्षित नहीं होगा जहां निक्षेपागार स्वयं ही प्रतिभूतियों का निर्गमनकर्ता हो:

परन्तु यह और कि वहां कोई ऐसा करार करना अपेक्षित नहीं होगा जहां भारत की केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार ही सरकारी प्रतिभूतियों की निर्गमनकर्ता हो।

(2) जहां निर्गमनकर्ता ने निर्गम के लिए रजिस्ट्रार या शेयर अंतरण अभिकर्ता नियुक्त किया है वहां निक्षेपागार ऐसी प्रतिभूतियों की बाबत, जिन्हें निक्षेपागार द्वारा अभौतिकीकृत रूप में धारण किए जाने के लिए पात्र घोषित किया जाना है, निर्गमनकर्ता और यथास्थिति, निर्गम के रजिस्ट्रार या शेयर अंतरण अभिकर्ता के साथ त्रिपक्षीय करार करना होगा।

पद्धतियां और प्रक्रियाएं

47. मान्यताप्राप्त निक्षेपागार में ऐसी पद्धतियां और प्रक्रियाएं होंगी जो उसे दैनिक आधार पर प्रतिभूतियों के स्वामित्व के अभिलेख का मिलान करने के लिए निर्गमनकर्ता या उसके अभिकर्ता और भागीदारों के साथ समन्वय स्थापित करने में समर्थ बनाएंगी।

48. मान्यताप्राप्त निक्षेपागार में, निक्षेपागार के नियंत्रण तंत्र, प्रक्रियाओं और सुरक्षोपायों का पुनर्विलोकन, मानीटरिंग और मूल्यांकन करने के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त प्रणाली होगी।

49. (1) मान्यताप्राप्त निक्षेपागार यह सुनिश्चित करेगा कि स्वचलित डाटा प्रक्रमण प्रणाली की अखंडता को सभी समयों पर बनाए रखा जाए।

(2) मान्यताप्राप्त निक्षेपागार ऐसी सभी पूर्वावधानियां बरतेगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों कि अभिलेख गुप्त, नष्ट न हो या उससे छेड़छाड़ न की जाए और गुप्त या नष्ट होने की दशा में यह सुनिश्चित किया जाए कि अभिलेख का पर्याप्त बैकअप किसी भिन्न स्थान पर सभी समयों पर उपलब्ध है।

50. मान्यताप्राप्त निक्षेपागार अपनी नियंत्रण-प्रणाली, तंत्रों, प्रक्रियाओं और सुरक्षोपायों का प्रति वर्ष निरीक्षण कराएगा और उसकी रिपोर्ट की एक प्रति प्राधिकरण को अग्रेषित करेगा।

कनेक्टिविटी

51. मान्यताप्राप्त निक्षेपागार अपने सभी भागीदारों, निर्गमनकर्ताओं या निर्गमनकर्ताओं के अभिकर्ताओं, स्टॉक एक्सचेंजों के समाशोधन गृहों और समाशोधन निगमों और अन्य निक्षेपागारों के साथ सतत संचार के इलैक्ट्रॉनिक साधन बनाए रखेगा।

निवेशक के संरक्षण के लिए तंत्र-रचना

52. मान्यताप्राप्त निक्षेपागार में यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र-रचना होगी कि निक्षेपागार में धारित प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय करने वाले व्यक्तियों के हितों की पर्याप्त रूप से संरक्षा की जाए।

53. मान्यताप्राप्त निक्षेपागार, ऐसे जोखिमों के विरुद्ध, जो एक मान्यताप्राप्त निक्षेपागार के रूप में उसके क्रियाकलापों के कारण उपगत होने संभावित हैं, हिताधिकारी स्वामियों के हितों की संरक्षा के लिए पर्याप्त अध्यक्ष, जिसके अंतर्गत बीमा भी है, अपनाएगा।

भागीदारों द्वारा प्रत्याहरण

54. मान्यताप्राप्त निक्षेपागार किसी भागीदार को अपने खाते के प्रत्याहरण या अंतरण के लिए अनुज्ञात करेगा यदि ऐसे प्रत्याहरण या अंतरण का अनुरोध निक्षेपागार की उप-विधियों में अनुबंधित शर्तों के अनुसार है।

जोखिम प्रबंधन

55. मान्यताप्राप्त निक्षेपागार में जोखिम से व्यापक रूप से निपटने के लिए एक ठोस जोखिम प्रबंधन प्रणाली और अवसंरचना होगी।

कारबार निरन्तरता योजना और आपदा पुनःप्राप्ति

56. प्रत्येक मान्यताप्राप्त निक्षेपागार उस रीति में, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, डाटा और सव्यवहार की सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए कारबार निरन्तरता योजना और आपदा पुनःप्राप्ति साइट रखेगा।

अभिलेख का रखरखाव

57. (1) मान्यताप्राप्त निक्षेपागार निम्नलिखित अभिलेख और दस्तावेज़ रखेगा, अर्थात्:-
- (क) उन प्रतिभूतियों का अभिलेख, जिनका अभौतिकीकरण और पुनःभौतिकीकरण किया गया है;
 - (ख) अंतरक और अंतरिती के नाम और प्रतिभूतियों के अंतरण की तारीखें;
 - (ग) हिताधिकारी स्वामियों का रजिस्टर और अनुक्रमणिका;
 - (घ) प्रत्येक दिवस की समाप्ति पर हिताधिकारी स्वामियों की प्रतिभूतियों की धारिता के ब्यौरे;
 - (ङ) उन अनुदेशों का अभिलेख, जो भागीदारों, निर्गमनकर्ताओं, निर्गमनकर्ताओं के अभिकर्ताओं और हिताधिकारी स्वामियों को भेजे गए और उनसे प्राप्त हुए हैं;
 - (च) यथास्थिति, गिरवी या आडमान के अनुमोदन, नोटिस, प्रविष्टि और रद्दकरण के अभिलेख;
 - (छ) भागीदारों के ब्यौरे;
 - (ज) उन प्रतिभूतियों के ब्यौरे, जो निक्षेपागार में अभौतिकीकरण के लिए पात्र घोषित की गई हैं; और
 - (झ) ऐसा अन्य अभिलेख, जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए।
- (2) मान्यताप्राप्त निक्षेपागार, प्राधिकरण को उस स्थान की सूचना देगा जहां उप-विनियम (1) में उल्लिखित अभिलेख और दस्तावेज़ रखे जाते हैं।
- (3) मान्यताप्राप्त निक्षेपागार, उप-विनियम (1) में यथा-उपबंधित समस्त अभिलेख और दस्तावेज़ न्यूनतम बीस वर्ष की अवधि के लिए इलैक्ट्रॉनिक पुनःप्राप्ति रूप में रखेगा।

सहयोग

58. मान्यताप्राप्त निक्षेपागार, हिताधिकारी स्वामियों, निर्गमनकर्ताओं, निर्गमनकर्ताओं के अभिकर्ताओं, प्रतिभूतियों के अभिरक्षकों, अन्य निक्षेपागारों और समाशोधन निगमों को ऐसा पूरा सहयोग प्रदान करेगा जो प्रतिभूति संव्यवहारों के प्रभावी, त्वरित और सही समाशोधन और परिनिर्धारण और कारबार के संचालन के लिए आवश्यक हो।

गिरवी

59. मान्यताप्राप्त निक्षेपागार अपनी उप-विधियों में हिताधिकारी स्वामियों द्वारा, उनके स्वामित्वाधीन प्रतिभूति पर गिरवी के सृजन की प्रक्रिया की व्यवस्था करेगा।

समान, ऋजु और पारदर्शी पहुंच

60. मान्यताप्राप्त निक्षेपागार, सभी व्यक्तियों को, उनके सहयुक्तों और संबद्ध इकाइयों के प्रति किसी भेदभाव के बिना समान, अनिर्बंधित, पारदर्शी और उचित पहुंच सुनिश्चित करेगा।

अध्याय 6**प्रकीर्ण****वैबसाइट का अनुरक्षण**

61. मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था:

- (क) ऐसी समस्त जानकारी प्रकाशित करने के लिए, जो वह इन विनियमों के अधीन प्रकाशित करने के लिए बाध्य है;

(ख) बनाए गए सभी नियमों, विनियमों, उपविधियों और जारी किए गए सभी दिशानिर्देशों की, जिसके अंतर्गत उनके सभी संशोधन भी हैं, प्रति उपलब्ध कराने के लिए;

(3) उस रीति के बारे में, जिसमें सदस्यता या सहबद्धता के लिए आवेदन किए जाने हैं, जानकारी प्रदान करने के लिए; और

(4) उसके कृत्यों के बारे में तात्त्विक जानकारी प्रदान करने के लिए,

एक वैबसाइट या इलैक्ट्रॉनिक जानकारी का सर्वत्र सुलभ कोई अन्य निक्षेपागार रखेगी।

अभिलेख रखना

62. बाज़ार अवसंरचना संस्था, किसी अन्य प्रवृत्त विधि के अधीन आने वाली अपेक्षाओं के अतिरिक्त, अपनी प्रतिभूतियों के निर्गमन या अंतरण से संबंधित सभी बहियां, रजिस्टर, अन्य दस्तावेज़ और अभिलेख न्यूनतम बीस वर्ष के लिए इलैक्ट्रॉनिक पुनःप्राप्ति रूप में रखेगी और उन्हें परिरक्षित रखेगी।

अनुपालन अधिकारी

63. (1) प्रत्येक मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था एक ऐसे अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करेगी, जो लागू विधियों के, जिसके अंतर्गत प्रतिभूति विधियां भी हैं, अनुपालन की मानिट्रिंग करने और आई.एफ.एस.सी.ए. अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों का अनुपालन करने और निवेशकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) अनुपालन अधिकारी, पाए गए किसी अननुपालन के बारे में तुरंत और स्वतंत्र रूप से प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा।

विवरणियां और रिपोर्टें

64. (1) प्रत्येक मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था ऐसी विवरणियां, विवरण और विशिष्टियां ऐसी रीति में, जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, प्रस्तुत करेगी।

(2) प्रत्येक मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था, प्राधिकरण को अपनी वार्षिक वित्तीय विवरण और विवरणियां, प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक प्रस्तुत करेगी:

परन्तु मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और मान्यताप्राप्त समाशोधन निगम अपनी रिपोर्ट में वह जानकारी सम्मिलित करेगा, जो नियमों के नियम 17 और नियम 17क के अनुसार अपेक्षित है।

जानकारी मंगाने की शक्ति

65. प्राधिकरण किसी मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था या उसके शासी बोर्ड या उसके किसी शेयरधारक से किसी भी समय कोई जानकारी, दस्तावेज़ या अभिलेख मंगा सकेगा।

निरीक्षण

66. (1) प्राधिकरण किसी भी समय किसी बाज़ार अवसंरचना संस्था, उसके सहयुक्तों या उसके किसी भी शेयरधारक का निरीक्षण करा सकेगा, जांच करा सकेगा और लेखापरीक्षा का संचालन करा सकेगा।

(2) जहां प्राधिकरण द्वारा कोई निरीक्षण किया जाता है वहां ऐसी बाज़ार अवसंरचना संस्था का प्रत्येक प्रबंधक, निदेशक, प्रबंध निदेशक, अध्यक्ष, अधिकारी और कोई अन्य कर्मचारी, शेयरधारक या सहयुक्त प्राधिकरण के साथ सहयोग करेगा।

(3) प्राधिकरण, निरीक्षण या अन्वेषण रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ऐसी कार्रवाई कर सकेगा, जो वह उपयुक्त और उचित समझे।

प्राधिकरण द्वारा निदेश

67. प्राधिकरण, आई.एफ.एस.सी.ए. अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन अपनी

शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, या तो स्वप्रेरणा से या किसी जानकारी की प्राप्ति पर या किसी निरीक्षण, जांच या अन्वेषण के लंबित रहने के दौरान या उसके पूरा होने पर, लोक या व्यापार या निवेशकों या किसी आई.एफ.एस.सी. में प्रतिभूति बाज़ार के हित में ऐसे निदेश जारी कर सकेगा, जो वह उचित समझे।

प्राधिकरण द्वारा लेखापरीक्षक की नियुक्ति

68. प्राधिकरण को किसी मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था की लेखा-बहियों, अभिलेखों, दस्तावेज़ों, अवसंरचनाओं, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का निरीक्षण या अन्वेषण करने के लिए एक लेखापरीक्षक नियुक्त करने की शक्ति होगी।

व्ययों की वसूली करने का प्राधिकार

69. प्राधिकरण, मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था से ऐसे व्ययों की, जिसके अंतर्गत लेखापरीक्षकों को संदत्त फीस भी है, वसूली करने का हकदार है, जो उसके द्वारा किसी मान्यताप्राप्त बाज़ार अवसंरचना संस्था की लेखा-बहियों, अभिलेखों, दस्तावेज़ों, अवसंरचनाओं, प्रणालियों और प्रक्रियाओं का निरीक्षण या अन्वेषण करने के प्रयोजनों के लिए उपगत किए जाएं।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

70. प्राधिकरण को, इन विनियमों के उपबंधों के निर्वचन या लागू करने में होने वाली किन्हीं कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से दिशानिर्देशों, टिप्पणों या परिपत्रों के माध्यम से निदेश जारी करने की शक्ति होगी।

विनियमों के कठोर प्रवर्तन को शिथिल करने की शक्ति

71. (1) प्राधिकरण, किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में वित्तीय सेवाओं के विकास और विनियमन के हित में इन विनियमों की किसी अपेक्षा के कठोर प्रवर्तन को शिथिल कर सकेगा।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन शिथिलता की ईप्सा करने के लिए, प्राधिकरण के पास ऐसे ब्यौरे और आधार देते हुए, जिनके आधार पर ऐसी शिथिलता की ईप्सा की गई है, 1500 अमरीकी डॉलर की अप्रतिदेय फीस सहित आवेदन फाइल किया जाएगा।

(3) प्राधिकरण, सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करेगा और आवेदन द्वारा ईप्सित शिथिलताओं को स्वीकार करने या उनसे इनकार करने के कारण लेखबद्ध करेगा:

परन्तु नामंजूर करने के कारण आवेदक को संसूचित किए जाएंगे।

प्रक्रियाएं विनिर्दिष्ट करने और स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति

72. प्राधिकरण, इन विनियमों और उनसे आनुषंगिक विषयों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए, परिपत्रों द्वारा बाज़ार अवसंरचना संस्थाओं को इन विनियमों में यथा-विनिर्दिष्ट मानदंड, प्रक्रियाएं, प्रक्रमण, रीतियां या दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

73. (1) इन विनियमों के प्रारंभ होने से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र) दिशानिर्देश, 2015 का अध्याय 2, किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में लागू नहीं होंगे।

(2) इन विनियमों के प्रारंभ होने से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और भागीदार) विनियम, 2018 किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में वहां तक लागू नहीं होंगे जहां तक उन उपबंधों का संबंध निक्षेपागार से है और ऊपर उल्लिखित विनियमों में किसी निक्षेपागार भागीदार या निर्गमनकर्ता से संबंधित उपबंध किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में लागू बने रहेंगे।

(3) ऊपर (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, इन विनियमों के प्रारंभ से पूर्व प्रतिभूति संविदा (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निक्षेपागार और

भागीदार) विनियम, 2018 और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र) दिशानिर्देश, 2015 के अध्याय 2 के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कोई कार्रवाई, इन विनियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई या प्रारंभ की गई समझी जाएगी।

(4) इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से सेबी के तारीख 28 नवम्बर, 2016 के परिपत्र सं. सेबी/एच.ओ./एम.आर.डी./डी.एस.ए./परिपत्र/पी/2016/125 का अधिक्रमण हो जाएगा।

(5) सेबी द्वारा जारी किए गए और किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में बाज़ार अवसंरचना संस्था को लागू परिपत्र और दिशानिर्देश तब तक प्रवृत्त बने रहेंगे जब तक उनका प्राधिकरण द्वारा किन्हीं विनियमों या परिपत्रों या दिशानिर्देशों द्वारा अधिक्रमण नहीं किया जाता है।

इनजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./43/2021-22]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

NOTIFICATION

Gandhinagar, the 12th April, 2021

International Financial Services Centres Authority (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021

No. IFSCA/2021-22/GN/REG011.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with sub-section (1) of Section 12 and sub-section (1) of Section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019; Sections 4, 8A and 31 read with Section 29B of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956; and Section 25 read with Section 23G of the Depositories Act, 1996, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, namely: -

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title and commencement

1. (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Market Infrastructure Institutions) Regulations, 2021.

(2) They shall come into force on the thirtieth day of its publication in the Official Gazette.

Definitions

2. 1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings as assigned below, and their cognate expressions shall be construed accordingly, -

(a) "associate" in relation to a person shall include another person:

- i. who, directly or indirectly, by himself, or in combination with other persons, exercises control over the first person;
- ii. who holds control of at least twenty percent of the total voting power of the first person;
- iii. who is a holding company or a subsidiary company of the first person;
- iv. who is a relative of the first person;
- v. who is a member of a Hindu Undivided Family wherein the first person is also a member; or
- vi. such other cases where the Authority is of the view that a person shall be

considered as an associate based on the facts and factors including the extent of control, independence, conflict of interest;

- (b) “Authority” means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of section 4 of the IFSCA Act;
- (c) “clearing corporation” means an entity that is established to undertake the activity of clearing and settlement of trades in securities or other instruments or products that are dealt with or traded on a recognised stock exchange and includes a clearing house;
- (d) “clearing member” means a person having clearing rights in any recognised clearing corporation;
- (e) “Depositories Act” means the Depositories Act, 1996 (22 of 1996);
- (f) "Foreign Jurisdiction" means a country, other than India, whose securities market regulator is a signatory to International Organization of Securities Commission’s Multilateral Memorandum of Understanding (Appendix A signatories) or a signatory to bilateral Memorandum of Understanding with the Authority, and which is not identified in the public statement of Financial Action Task Force as:
 - i. a jurisdiction having a strategic Anti-Money Laundering or Combating the Financing of Terrorism deficiencies to which counter measures apply; or
 - ii. a jurisdiction that has not made sufficient progress in addressing the deficiencies or has not committed to an action plan developed with the Financial Action Task Force to address the deficiencies;
- (g) "governing board" means the board of directors of a recognised stock exchange, a recognised clearing corporation or a recognised depository;
- (h) "IFSCA Act" means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
- (i) "International Financial Services Centre” or “IFSC” shall have the same meaning as assigned to it under clause (g) of sub-section (1) of Section 3 of the IFSCA Act;
- (j) "key management personnel" includes a person serving as head of any department or in such senior executive position that stands higher in hierarchy to the head(s) of the department(s) in the recognised market infrastructure institution, or any person who directly reports to chief executive officer or to the director on the governing board of the recognised market infrastructure institution, or any person upto two levels below the chief executive officer or managing director, or any other person as may be identified by its Nomination and Remuneration Committee;
- (k) "netting" means the determination by clearing corporation of net payment or delivery obligations of the clearing members of a clearing corporation by setting off or adjustment of the inter-se obligations or claims arising out of buying and selling of securities, including the claims and obligations arising out of the determination by the clearing corporation or stock exchange, on the insolvency, winding-up, liquidation or resolution of any clearing member or trading member or client or such other circumstances as the clearing corporation may specify in its bye-laws, of the transactions admitted for settlement at a future date, so that only a net claim be demanded, or a net obligation be owed;
- (l) “novation” means the act of one or more recognised clearing corporations interposing between the parties of every trade, so as to be a legal counterparty;
- (m) "public interest director" means an independent director representing the interests of investors in securities market in an IFSC and who is not having any association, directly or indirectly, which in the opinion of the Authority, is in conflict with his role;
- (n) “recognised clearing corporation" means a clearing corporation in an IFSC recognised by the Authority;

- (o) “recognised depository” means a depository in an IFSC recognised by the Authority;
 - (p) “recognised market infrastructure institution” means a recognised stock exchange, a recognised clearing corporation or a recognised depository;
 - (q) “recognised stock exchange” means a stock exchange in an IFSC recognised by the Authority;
 - (r) "rules" means the Securities Contracts (Regulations) Rules, 1957;
 - (s) "SCRA" means the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956);
 - (t) “SEBI” means the Securities and Exchange Board of India established under section 3 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992;
 - (u) "shareholder director" means a director who represents the interest of shareholders, and elected or nominated by such shareholders;
 - (v) "trading member" means a person having trading rights in a recognised stock exchange.
- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the SCRA, the IFSCA Act, the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the Depositories Act, the Companies Act, 2013, or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations made thereunder or any statutory modification or re-enactment thereto, as the case may be.

CHAPTER II RECOGNITION

Application for seeking recognition

3. No person shall conduct, organise or assist in organising any stock exchange, clearing corporation or depository in an IFSC unless he has obtained recognition from the Authority in accordance with these regulations.
4. A person seeking recognition as a market infrastructure institution in an IFSC shall be a company incorporated in an IFSC in compliance with the shareholding requirements prescribed under these regulations.
5. An application for recognition as a market infrastructure institution in an IFSC shall be submitted to the Authority in the form and manner, and shall be accompanied by the fee as may be prescribed by the Authority.
6. An application for recognition as a stock exchange or a clearing corporation in an IFSC, as the case may be, shall be accompanied by a copy of the memorandum of association, articles of association, bye-laws and other documents as provided in sections 3 and 4 of the SCRA, rule 5 of the rules and these regulations.
7. An application for recognition as a depository in an IFSC shall be accompanied by a copy of the draft bye-laws of the depository.

Requirements for grant of recognition

8. (1) An applicant seeking recognition as a stock exchange or clearing corporation, as the case may be, shall comply with the following conditions, namely, -
 - (a) the applicant is a company limited by shares;
 - (b) the applicant is demutualised;
 - (c) the applicant, its directors and its shareholders who hold or intend to hold shares, are fit and proper persons as specified in these regulations;
 - (d) the applicant satisfies the requirements relating to the ownership and governance structure specified in these regulations;
 - (e) the applicant satisfies the net worth requirements specified in these regulations;

- (f) the applicant satisfies the requisite capability including its financial capacity, functional expertise and infrastructure.
- (2) An applicant seeking recognition as a stock exchange shall, in addition to the conditions specified in sub-regulation (1), comply with the following conditions, namely, -
- (a) the applicant has the necessary infrastructure for the orderly execution of trades;
 - (b) the applicant has an online screen-based trading system;
 - (c) the applicant has an online surveillance capability which monitors prices, volumes and positions in real time so as to ensure market integrity;
 - (d) the applicant has adequate infrastructure to list securities for trading on its platform, wherever applicable;
 - (e) the applicant has necessary capability to have a comprehensive network of trading members and has adequate facility to admit and regulate its members;
 - (f) the applicant has made necessary arrangements to establish connectivity with its trading members and clearing corporation;
 - (g) the applicant has adequate investor grievances redressal mechanism and arbitration mechanism to resolve disputes arising out of trades and its settlement;
 - (h) the applicant has the facility to disseminate information about trades, quantities and quotes in real time to at least two information vending networks which are accessible to investors;
 - (i) the applicant has adequate systems' capacity supported by a business continuity plan including a disaster recovery site;
 - (j) the applicant has in its employment, sufficient number of persons having adequate professional and other relevant experience; and
 - (k) any other conditions as may be specified by the Authority.
- (3) An applicant seeking recognition as a clearing corporation shall, in addition to the conditions specified in sub-regulation (1), comply with the following conditions, namely,-
- (a) the applicant has necessary infrastructure to ensure timely clearing and settlement of trades;
 - (b) the applicant has adequate risk management mechanism;
 - (c) the applicant has a settlement procedure including netting, novation and guarantee for settlement of trades in place, which is in accordance with the manner specified by the Authority;
 - (d) the applicant has the capacity to establish a fund to guarantee settlement of trades;
 - (e) the applicant has necessary capability to have a wide network of clearing members and has adequate facility to admit and regulate its members;
 - (f) the applicant has established connectivity with the depositories, clearing banks, stock exchange and clearing members;
 - (g) the applicant has adequate systems' capacity for on-line/real time risk management of trades cleared and settled and is supported by a suitable business continuity plan including a disaster recovery site;
 - (h) the applicant has in its employment, sufficient number of persons having adequate professional and other relevant experience to the satisfaction of the Authority;
 - (i) the applicant has the necessary arrangements in place for resolving disputes and redressal of grievances arising out of clearing and settlement of trades;
 - (j) the applicant has an agreement with a depository and with a recognised stock exchange in respect of clearing and settlement of the trades; and
 - (k) any other conditions as may be specified by the Authority.

- (4) An applicant seeking recognition as a depository shall have the necessary resources for efficient and orderly functioning of a depository and in particular, comply with the following conditions:
- (a) the depository satisfies the net-worth requirements specified in these regulations;
 - (b) the bye-laws and legal documents are consistent with the objective of the depository and protecting the interest of investors;
 - (c) the automatic data processing systems of the depository have been protected against unauthorised access, alteration, destruction, disclosure or dissemination of records and data;
 - (d) the network through which continuous electronic means of communications are established between the depository, participants, issuers and issuers' agents is secure against unauthorised entry or access;
 - (e) the depository has established standard transmission and encryption formats for electronic communications of data between the depository, participants, issuers and issuers' agents;
 - (f) the physical or electronic access to the premises, facilities, automatic data processing systems, data storage sites and facilities including back up sites and facilities and to the electronic data communication network connecting the depository, participants, issuers and issuers' agents is controlled, monitored and recorded;
 - (g) the depository has a detailed operations manual explaining all aspects of its functioning, including the interface and method of transmission of information between the depository, issuers, issuers' agents, participants and beneficial owners;
 - (h) the depository has established adequate procedures and facilities to ensure that its records are protected against loss or destruction and arrangements have been made for maintaining back up facilities at a location different from that of the depository;
 - (i) the depository has made adequate arrangements including insurance for indemnifying the beneficial owners for any loss that may be caused to such beneficial owners by the wrongful act, negligence or default of the depository or its participants or of any employee of the depository or participant; and
 - (j) any other conditions as may be specified by the Authority.

Grant of recognition

9. (1) The Authority may, after considering the application and on being satisfied that the applicant has complied with the conditions laid down in these regulations and is eligible to act as a stock exchange, a clearing corporation, or a depository, as the case may be, grant recognition to the applicant subject to such conditions as the Authority may deem fit;
- (2) A recognised market infrastructure institution shall comply with such additional conditions as may be imposed by the Authority from time to time.
10. The period of recognition granted to a market infrastructure institution shall be permanent or for such period not less than one year as may be specified by the Authority.

Regulatory Fee

11. A recognised market infrastructure institution shall pay the regulatory fee as specified by the Authority from time to time.

Renewal of recognition

12. The provisions of these regulations, as applicable to the grant of recognition shall also apply in relation to an application for renewal of recognition of a market infrastructure institution.

Withdrawal of recognition

13. The recognition granted to a market infrastructure institution may be withdrawn by the Authority after giving a reasonable opportunity of being heard:

Provided that the recognition granted to a stock exchange or a clearing corporation shall be withdrawn in the manner provided under section 5 of the SCRA.

Net Worth Requirements

- 14.** (1) A recognised market infrastructure institution shall have net worth of at least USD 3 million at all times.
- (2) If required, as a risk management measure, the Authority may prescribe higher net worth for a recognised market infrastructure institution based on the nature and scale of business of the entity.
- 15.** A recognised market infrastructure institution shall submit an audited net worth certificate from the statutory auditor on a yearly basis by the thirtieth day of September of every year for the preceding financial year, to the Authority.

Shareholding Requirements

- 16.** (1) The shareholding in a recognised stock exchange shall be held by, -
- (a) a stock exchange recognised in India or a Foreign Jurisdiction with a minimum of twenty-six per cent. of the paid-up equity share capital of the recognised stock exchange; or
- (b) a consortium of market infrastructure institutions recognised in India, an IFSC or a Foreign Jurisdiction with a minimum of fifty-one per cent. of the paid-up equity share capital of the recognised stock exchange held by such consortium:
- Provided that the stock exchange(s) recognised in India, an IFSC or a Foreign Jurisdiction shall have fifty-one per cent. or more shareholding within the consortium.
- (2) Any other person in India, an IFSC or a Foreign Jurisdiction shall not at any time, directly or indirectly, either individually or together with persons acting in concert, acquire or hold more than twenty-five per cent. of the paid-up equity share capital in the recognised stock exchange.
- 17.** (1) The shareholding in a recognised clearing corporation shall be held by, -
- (a) a stock exchange or a clearing corporation recognised in India, an IFSC or a Foreign Jurisdiction with a minimum of twenty-six per cent. of the paid-up equity share capital of the recognised clearing corporation; or
- (b) a consortium of market infrastructure institutions recognised in India, an IFSC or a Foreign Jurisdiction with a minimum of fifty-one per cent. of the paid-up equity share capital of the recognised clearing corporation held by such consortium:
- Provided that the stock exchange(s) recognised in India, an IFSC or a Foreign Jurisdiction shall have fifty-one per cent. or more shareholding within the consortium.
- (2) Any other person in India, an IFSC or a Foreign Jurisdiction shall not at any time, directly or indirectly, either individually or together with persons acting in concert, acquire or hold more than twenty-five per cent. of the paid-up equity share capital in the recognised clearing corporation.
- 18.** (1) The shareholding in a recognised depository shall be held by, -
- (a) a depository recognised in India or a Foreign Jurisdiction with a minimum of twenty-six per cent. of the paid-up equity share capital of the recognised depository; or
- (b) a consortium of market infrastructure institutions with a minimum of fifty-one per cent. of the paid-up equity share capital of the recognised depository held by such consortium:
- Provided that the stock exchange(s) recognised in India, an IFSC or a Foreign Jurisdiction shall have fifty-one per cent. or more shareholding within the consortium.
- (2) Any other person in India, an IFSC or a Foreign Jurisdiction shall not at any time, directly or indirectly, either individually or together with persons acting in concert, acquire or hold more than twenty-five per cent. of the paid-up equity share capital in the recognised depository.
- 19.** (1) Any person who acquires equity shares or voting rights, in a recognised market infrastructure institution, directly or indirectly, either individually or together with persons acting in concert, of ten per cent. or more of the paid-up equity share capital shall not have any conflict of interest and obtain prior approval of the Authority.

- (2) The market infrastructure institution shall verify the declarations/undertakings in relation to compliance with fit and proper requirements given by such persons and forward the application along with its recommendation for approval to the Authority.

Monitoring of Shareholding

20. A recognised market infrastructure institution shall put in place an adequate monitoring mechanism to ensure compliance with the shareholding conditions specified in these regulations, at all times.

Disclosure of shareholding

21. A recognised market infrastructure institution shall disclose to the Authority their shareholding pattern on a quarterly basis within fifteen days from the end of each quarter, including therein the following, -
- (a) the names of the ten largest shareholders along with the number and per cent. of shares held by them; and
 - (b) the names of the shareholders who had acquired shares in that quarter.

Listing of MIIs

22. A recognised market infrastructure institution may apply for listing of its securities on any stock exchange pursuant to approval of the Authority.

Fit and proper requirements

23. (1) A recognised market infrastructure institution shall ensure that all its directors, key management personnel and shareholders are fit and proper persons, at all times:

Provided that, in respect of a listed recognised market infrastructure institution, the onus to ensure fit and proper person for shareholders shall be on:

- (a) the acquirer in respect of shareholding less than 5 per cent. in the recognised market infrastructure institution; and
 - (b) the acquirer and recognised market infrastructure institution in respect of shareholding of 5 per cent. or more in the recognised market infrastructure institution.
- (2) For the purposes of sub-regulation (1), a person shall be deemed to be a fit and proper person if:
- (a) such person has a general reputation and record of fairness and integrity, including but not limited to –
 - (i) financial integrity;
 - (ii) good reputation and character; and
 - (iii) honesty.
 - (b) such person has not incurred any of the following disqualifications –
 - (i) the person or any of its whole-time directors or managing partners, has been convicted by a court for any offence involving moral turpitude or any economic offence or any offence against the securities laws;
 - (ii) a recovery proceeding has been initiated against the person by a financial regulatory authority and is pending;
 - (iii) an order for winding up has been passed against the person for malfeasance;
 - (iv) the person, or any of its whole-time directors or managing partners, has been declared insolvent and has not been discharged;
 - (v) an order, restraining, prohibiting or debarring the person or any of its whole-time directors or managing partners, from dealing in financial products or financial services or from accessing the securities market, has been passed by the Authority or any other regulatory authority and a period of three years from the date of the expiry of the period specified in the order has not elapsed;

- (vi) any other order against the person, or any of its whole-time directors or managing partners, which has a bearing on the securities market, has been passed by the Authority or any other regulatory authority, and a period of three years from the date of the order has not elapsed;
- (vii) the person has been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force;
- (viii) the person is financially not sound or has been categorized as a wilful defaulter;
- (ix) the person has been declared a fugitive economic offender; or
- (x) any other disqualification as specified by the Authority.

CHAPTER III

GOVERNANCE OF MARKET INFRASTRUCTURE INSTITUTIONS

Governance norms

24. (1) A recognised market infrastructure institution shall adopt the broader principles of governance prescribed under the Principles for Financial Market Infrastructures by Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) and International Organization of Securities Commissions (IOSCO) and such other governance norms as may be specified by the Authority, from time to time.
- (2) The governing board of a recognised market infrastructure institution shall include shareholder directors, public interest directors, and managing director, within the timeline as may be specified by the Authority, in compliance with the following:
- (a) The chairperson shall be elected by the governing board from amongst the public interest directors;
 - (b) The number of public interest directors shall not be less than the number of shareholder directors;
 - (c) The managing director shall be included in the category of shareholder directors;
 - (d) Any employee of a recognised market infrastructure institution may be appointed on the governing board in addition to the managing director and such director shall be deemed to be a shareholder director;
 - (e) The trading members or clearing members in an IFSC or their associates and agents (except persons on board of a scheduled commercial bank or a public financial institution) shall not be on the governing board of a recognised stock exchange or a recognised clearing corporation;
 - (f) The depository participants in an IFSC or their associates and agents (except persons on board of a scheduled commercial bank or a public financial institution) shall not be on the governing board of a recognised depository;
 - (g) The appointment of directors of a recognised market infrastructure institution shall be subject to the prior approval of the Authority and the fulfilment of other requirements as may be specified by the Authority.
 - (h) Public interest director shall be nominated for a term of three years, extendable by another term of three years subject to performance review as may be specified by the Authority;
 - (i) The appointment of managing director shall be for a term not exceeding five years subject to maximum age limit of 70 years:
Provided that the managing director may be re-appointed subject to approval of the Authority.
- (3) The roles and responsibilities of the governing board of a recognised market infrastructure institution should be clearly specified and the procedures for its functioning, including procedures to identify, address, and manage conflicts of interest should be documented.

- (4) The governing board of a recognised market infrastructure institution shall review the overall performance and the performance of its individual directors regularly.

Code of Conduct for directors and key management personnel

25. (1) Every director and key management personnel of a recognised market infrastructure institution shall abide by such Code of Ethics and Code of Conduct as may be specified by the Authority.
- (2) The Authority may, for any failure by the directors or key management personnel to abide by these regulations or Code of Ethics and conduct or in case of any conflict of interest, either upon a reference from the recognised market infrastructure institution or *suo motu*, take appropriate action including removal or termination of the appointment of any director or key management personnel, after providing them with a reasonable opportunity of being heard.

Committees

26. A recognised market infrastructure institution shall constitute such committees as may be specified by the Authority from time to time.

Segregation of regulatory departments

27. A recognised market infrastructure institution shall adopt an appropriate policy to segregate its regulatory departments from other departments.

CHAPTER IV

GENERAL OBLIGATIONS OF A RECOGNISED STOCK EXCHANGE AND A RECOGNISED CLEARING CORPORATION

Clearing and settlement of trades

28. (1) A recognised stock exchange shall use the services of a recognised clearing corporation for clearing and settlement of its trades in accordance with an agreement between them.
- (2) A recognised stock exchange shall extend its arbitration mechanism for settlement of disputes or claims arising out of clearing and settlement of trades executed on such stock exchange.

Admission of securities

29. A recognised stock exchange or a recognised clearing corporation, as the case may be, shall seek prior approval of the Authority before introducing or offering settlement services to any new category of securities.

Investor Education and Protection Fund

30. A recognised stock exchange shall establish such Investor Education and Protection Fund as may be specified by the Authority.

Settlement Guarantee Fund

31. (1) A recognised clearing corporation shall establish and maintain a Settlement Guarantee Fund to guarantee the settlement of trades executed on a stock exchange.
- (2) The fund shall have a corpus equivalent to at least the minimum required corpus as arrived at from the monthly stress test value or USD 1 million, whichever is higher.
- (3) In the event of a recognised clearing member failing to honour its settlement obligations, the fund shall be utilized to complete such settlement.
- (4) The corpus of the fund shall be adequate to meet the settlement obligations arising on account of failure of clearing member(s).
- (5) The sufficiency of the corpus of the fund shall be tested by way of periodic stress tests, in the manner specified by the Authority.
- (6) A recognised clearing corporation shall evolve a detailed framework for the settlement guarantee fund, subject to approval of the Authority.

Trading Hours and Settlement

32. (1) The trading hours for all product categories shall be as decided by the recognised stock exchanges, based on cost-benefit analysis, but shall not exceed 23 hours and 30 minutes in a day and settlement shall be done at least twice a day.
- (2) A recognised stock exchange and a recognised clearing corporation shall ensure that the risk management system and infrastructure are commensurate to the trading hours at all times.

Risk Management

33. (1) A recognised stock exchange and a recognised clearing corporation shall have a sound risk management system and infrastructure for comprehensively managing risks.
- (2) A recognised stock exchange shall evolve a detailed framework for the applicable position limits for each product to be traded.
- (3) A recognised clearing corporation shall evolve a robust risk management framework and shall comply with the following:
- (a) The risk management framework shall be in line with the Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) and International Organization of Securities Commissions' (IOSCO) Principles for Financial Market Infrastructures.
 - (b) A recognised clearing corporation shall evolve a margining framework based on the best practices prevailing in the clearing corporations globally.
 - (c) The recognised clearing corporation shall on an ongoing basis maintain capital including retained earnings and reserves, to adequately cover counterparty credit risk, business risk, legal and operational risk.
 - (d) A clearing corporation shall conduct stress tests, reverse stress tests, back testing, liquidity stress testing, etc. to ensure the robustness of risk management framework.
 - (e) A clearing corporation shall accept cash and cash equivalents (including major foreign currencies, term deposit receipts and bank guarantees issued by an IFSC banking unit), Indian securities held with foreign depositories, foreign securities or gold, as eligible collateral for trades in all product categories.
 - (f) The cash and cash equivalents as collateral shall form at least 50% of the total liquid assets at all times.
- (4) A recognised clearing corporation shall be ring fenced from its holding company.
- (5) A recognised clearing corporation shall hold additional capital to cover costs required for orderly wind-down or recovery of operations.

Halting Trading by stock exchange

34. A recognised stock exchange shall have a procedure for any halt of trading in market or individual scrip in response to volatility, or in anticipation of major company-specific announcements for promoting fair and orderly trading.

Co-Location by stock exchange

35. (1) A recognised stock exchange providing co-location facilities shall supervise and monitor such facilities and shall ensure that the integrity, security and privacy of data and trading systems are maintained, at all times.
- (2) A recognised stock exchange shall ensure that equal and fair access is provided to the participants through such co-location facilities.
- (3) A recognised stock exchange providing co-location facilities shall publish quarterly reports on their websites on latencies observed at the exchange.

Business Continuity Plan and Disaster Recovery

36. A recognised stock exchange and a recognised clearing corporation shall have in place Business Continuity Plan and Disaster Recovery Site to maintain data and transaction integrity in the manner as may be specified by the Authority from time to time.

Utilization of profits and investments

- 37.** (1) The utilization of profits and investments by a recognised stock exchange or a recognised clearing corporation shall be in accordance with the norms specified by the Authority.
- (2) The recognised stock exchange or recognised clearing corporation shall not carry on any activity involving deployment of funds without prior approval of the Authority:
- Provided that prior approval of the Authority shall not be required in case of treasury investments if such investments are as per the investment policy approved by the governing board of recognised stock exchange or recognised clearing corporation;
- Provided further that the recognised stock exchange or recognised clearing corporation may engage in activities involving deployment of funds or otherwise that are unrelated or not incidental to its activity as a stock exchange or clearing corporation, as the case may be, through a separate legal entity and subject to approval of the Authority.

Equal, fair and transparent access

- 38.** (1) A recognised clearing corporation shall lay down a policy framework for ensuring that there is no discrimination while rendering clearing and settlement services in settlement of trades executed on shareholder stock exchange from those executed on non-shareholder stock exchange.
- (2) The framework shall be made available on the website of the clearing corporation and shall provide the basis on which access to clearing and settlement services of the clearing corporation has been provided to a shareholder stock exchange along-with the manner in which the said requirements should be complied with by a non-shareholder stock exchange to obtain access to clearing and settlement services.
- (3) A recognised stock exchange or a recognised clearing corporation, as the case may be, shall ensure equal, unrestricted, transparent and fair access to all persons without any bias towards its associates and related entities.

Maintenance of books of accounts and records

- 39.** (1) A recognised stock exchange shall maintain and preserve the books of account and documents referred in rule 14 of the rules, and such other records as may be specified by the Authority from time to time, in electronic retrieval form for a minimum period of twenty years.
- (2) A recognised clearing corporation shall maintain and preserve the following books of account and documents in electronic retrieval form for a minimum period of twenty years namely:-
- (a) Minute books of the meetings of:
 - (i) governing board;
 - (ii) any committees of the governing board;
 - (b) Record of clearing members showing their full names, addresses and details of bank and depository accounts for settlement purposes;
 - (c) Transaction records;
 - (d) Record of security deposits;
 - (e) Margin deposits book;
 - (f) Client margin collection details;
 - (g) Ledgers;
 - (h) Journals;
 - (i) Cash book;
 - (j) Bank account statement;
 - (k) Such other records as may be specified by the Authority from time to time.

Bye-laws and rules

40. (1) A recognised stock exchange and recognised clearing corporation shall, with the prior approval of the Authority, make bye-laws for the regulation of contracts and clearing and settlement, as the case may be.
- (2) The bye-laws of a recognised stock exchange or a recognised clearing corporation shall not be amended without prior approval of the Authority.
- (3) No memorandum of association, articles of association or any other constitution document, in so far as they relate to matters specified in section 3 of the SCRA or under these regulations shall be amended except with prior approval of the Authority.

Settlement and netting

41. (1) The payment and settlement in respect of a transaction in a recognised stock exchange and recognised clearing corporation shall be determined in accordance with the netting or gross procedure as specified in the bye-laws of such recognised stock exchange and recognised clearing corporation, with the prior approval of the Authority.
- (2) Payment and settlement in respect of a transaction between parties referred to in sub- regulation (1), effected under the bye-laws of a recognised stock exchange or recognised clearing corporation, shall be final, irrevocable and binding on such parties.
- (3) When a settlement has become final and irrevocable, the right of the recognised stock exchange or the recognised clearing corporation, as the case may be, to appropriate any collaterals or deposits or margins contributed by the trading member, clearing member or client towards its settlement or other obligations in accordance with the bye-laws of the recognised stock exchange or recognised clearing corporation shall take priority over any other liability of or claim against the said trading member, clearing member or client, as the case may be.

Explanation. - For removal of doubts, the settlement, whether gross or net, referred to in this regulation is final and irrevocable as soon as the money, securities or other transactions payable as a result of such settlement is determined, whether or not such money, securities or other transactions is actually paid.

Obligation of Clearing Corporation in Commodity Derivatives

42. The recognised clearing corporation providing clearing and settlement services for commodity derivatives which result in physical settlement shall ensure financial guarantee for settlement of trades including good delivery.

Explanation: For the purpose of this regulation, “good delivery” shall mean the delivery of goods that is in proper form to transfer title and is of the quality and quantity as per contract specifications of the concerned exchange.

Right of Clearing Corporation

43. The right of a recognised clearing corporation to recover the dues from its clearing members, arising from the discharge of their clearing and settlement functions, from the collaterals, deposits and the assets of the clearing members, shall have priority over any other liability of or claim against the clearing members.

CHAPTER V**GENERAL OBLIGATIONS OF A RECOGNISED DEPOSITORY****Securities eligible for dematerialisation**

44. All securities defined under the SCRA and other eligible instruments under IFSCA Act shall be eligible for being held in dematerialised form in a recognised depository.

Agreement between depository and participant

45. A recognised depository shall enter into an agreement with one or more participants as its agent.

Agreement between depository and issuer

46. (1) Either on the issuer or on the investor exercising an option to hold his securities with a recognised depository in dematerialised form, the issuer shall enter into an agreement with the depository to enable the investor to dematerialise the securities:

Provided that no agreement shall be required to be entered into where the depository itself is an issuer of securities:

Provided further that no such agreement shall be required to be entered into where the Central Government of India or the State Government is the issuer of government securities.

(2) Where the issuer has appointed a Registrar to the Issue or Share Transfer Agent, the depository shall enter into a tripartite agreement with the issuer and the Registrar to the Issue or Share Transfer Agent, as the case may be, in respect of the securities to be declared by the depository as eligible to be held in dematerialised form.

Systems and Procedures

47. A recognised depository shall have systems and procedures which will enable it to co-ordinate with the issuer or its agent, and the participants, to reconcile the records of ownership of securities on a daily basis.
48. A recognised depository shall have adequate mechanisms for the purposes of reviewing, monitoring and evaluating the depository's controls systems, procedures and safeguards.
49. (1) A recognised depository shall ensure that the integrity of the automatic data processing systems is maintained at all times.
- (2) A recognised depository shall take all precautions necessary to ensure that the records are not lost, destroyed or tampered with and in the event of loss or destruction, ensure that sufficient back up of records is available at all times at a different place.
50. A recognised depository shall cause an inspection of its controls, systems, procedures and safeguards to be carried out annually and forward a copy of the report to the Authority.

Connectivity

51. A recognised depository shall maintain continuous electronic means of communication with all its participants, issuers or issuers' agents, clearing houses and clearing corporations of the stock exchanges and with other depositories.

Mechanism for investor protection

52. A recognised depository shall have a mechanism in place to ensure that the interests of the persons buying and selling securities held in the depository are adequately protected.
53. A recognised depository shall take adequate measures including insurance to protect the interests of the beneficial owners against risks likely to be incurred on account of its activities as a recognised depository.

Withdrawal by participant

54. A recognised depository shall allow any participant to withdraw, or transfer its account, if the request for such withdrawal or transfer is in accordance with conditions stipulated in the bye-laws of the depository.

Risk Management

55. A recognised depository shall have a sound risk management system and infrastructure for comprehensively managing risks.

Business Continuity Plan and Disaster Recovery

56. A recognised depository shall have in place Business Continuity Plan and Disaster Recovery Site to maintain data and transaction integrity in the manner as may be specified by the Authority from time to time.

Maintenance of records

57. (1) A recognised depository shall maintain the following records and documents, namely –
- records of securities dematerialised and rematerialised;
 - the names of the transferor, transferee, and the dates of transfer of securities;

- (c) a register and an index of beneficial owners;
 - (d) details of the holding of the securities of beneficial owners as at the end of each day;
 - (e) records of instructions received from and sent to participants, issuers, issuers' agents and beneficial owners;
 - (f) records of approval, notice, entry and cancellation of pledge or hypothecation, as the case may be;
 - (g) details of participants;
 - (h) details of securities declared to be eligible for dematerialisation in the depository; and
 - (i) such other records as may be specified by the Authority from time to time.
- (2) A recognised depository shall intimate the Authority the place where the records and documents mentioned at sub-regulation (1) are maintained.
- (3) A recognised depository shall maintain all records and documents as provided in sub-regulation (1), in electronic retrieval form for a minimum period of twenty years.

Co-operation

- 58.** A recognised depository shall extend all such co-operation to the beneficial owners, issuers, issuers' agents, custodians of securities, other depositories and clearing corporations as is necessary for the effective, prompt and accurate clearance and settlement of securities transactions and conduct of business.

Pledge

- 59.** A recognised depository shall have in its bye-laws, the procedure for creation of pledge by beneficial owners on a security owned by it.

Equal, fair and transparent access

- 60.** A recognised depository shall ensure equal, unrestricted, transparent and fair access to all persons without any bias towards its associates and related entities.

CHAPTER VI MISCELLANEOUS

Maintenance of website

- 61.** A recognised market infrastructure institution shall maintain a website or any other universally accessible repository of electronic information to:
- (a) publish all information that it is obliged to publish under these regulations;
 - (b) provide a copy of all rules, regulations, bye-laws made and all guidance issued, including all amendments therein;
 - (c) provide information about the manner in which applications to be made for membership or association; and
 - (d) provide material information about its functions.

Record keeping

- 62.** In addition to the requirements under other laws in force, a market infrastructure institution shall maintain and preserve all the books, registers, other documents and records relating to the issue or transfer of its securities in electronic retrieval form for a minimum of twenty years.

Compliance Officer

- 63.** (1) A recognised market infrastructure institution shall appoint a compliance officer who shall be responsible for monitoring the compliance of the applicable laws including securities laws, compliances with IFSCA Act and rules and regulations made thereunder and for redressal of investors' grievances.

- (2) The compliance officer shall immediately and independently report to the Authority any non-compliance observed by him.

Returns and reports

64. (1) A recognised market infrastructure institution shall furnish such returns, statements and particulars, in the manner as may be specified by the Authority.

- (2) A recognised market infrastructure institution shall furnish to the Authority its annual financial statements and returns by the thirtieth of September of every year:

Provided that a recognised stock exchange and a recognised clearing corporation shall include in its report information required as per rule 17 and 17A of the rules.

Power to call for information

65. The Authority may at any time call for any information, documents or records from a recognised market infrastructure institution, or their governing board or any shareholder thereof.

Inspection

66. (1) The Authority may at any time undertake inspection, conduct inquiries and audit of any market infrastructure institution, its associates or any of its shareholders.

- (2) Where an inspection is undertaken by the Authority, every manager, director, managing director, chairperson, officer and other employee of such market infrastructure institution, shareholder or associate shall cooperate with the Authority.

- (3) The Authority shall after consideration of inspection or investigation report take such action as it may deem fit and appropriate.

Directions by the Authority

67. Without prejudice to the exercise of its powers under the provisions of the IFSCA Act and rules and regulations made thereunder, the Authority may, either *suo motu* or on receipt of any information or during pendency of any inspection, inquiry or investigation or on completion thereof, in the interest of public or trade or investors or the securities market in an IFSC, issue such directions as it deems fit.

Appointment of Auditor by the Authority

68. The Authority shall have the power to appoint an auditor to inspect or investigate, into the books of account, records, documents, infrastructures, systems and procedures or affairs of a recognised market infrastructure institution.

Authority to recover the expenses

69. The Authority shall be entitled to recover from the recognised market infrastructure institution such expenses including fees paid to the auditors as may be incurred by it for the purposes of inspecting or investigating the books of account, records, documents, infrastructures, system and procedures of a recognised market infrastructure institution.

Power to remove difficulties

70. In order to remove any difficulties in the interpretation or application of the provisions of these regulations, the Authority shall have the power to issue directions through guidance notes or circulars.

Power to relax strict enforcement of the regulations

71. (1) The Authority may, in the interest of development and regulation of financial services in an IFSC, relax the strict enforcement of any requirement of these regulations.

- (2) For seeking relaxation under sub-regulation (1), an application, giving details and the grounds on which such relaxation has been sought, shall be filed with the Authority along with a non-refundable fee of USD 1500.

- (3) The Authority shall process such application within thirty days of the date of receipt of the application complete in all respects and shall record reasons for acceptance or refusal of the relaxations sought by the applicant:

Provided that the reasons for rejection shall be communicated to the applicant.

Power to specify procedures and issue clarifications

72. For the purposes of implementation of these regulations and matters incidental thereto, the Authority may specify norms, procedures, processes, manners or guidelines as specified in these regulations, by way of circulars to market infrastructure institutions.

Repeal and Savings

73. (1) On and from the commencement of these regulations, the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018 and Chapter II of the Securities and Exchange Board of India (International Financial Services Centres) Guidelines, 2015 shall not apply in an IFSC.
- (2) On and from the commencement of these regulations, Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018 shall not apply in an IFSC in so far as the provisions pertain to a depository and all the provisions in the aforementioned regulations pertaining to a depository participant or issuer shall continue to apply in an IFSC.
- (3) Notwithstanding (1) and (2) above, anything done or any action taken or purported to have been taken under the Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2018, Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018 and Chapter II of the Securities and Exchange Board of India (International Financial Services Centres) Guidelines, 2015 before the commencement of these regulations shall be deemed to have been done or taken or commenced under the corresponding provisions of these regulations.
- (4) The SEBI circular SEBI/HO/MRD/DSA/CIR/P/2016/125 dated November 28, 2016 shall stand superseded from the date of commencement of these regulations.
- (5) The circulars and guidelines issued by SEBI and applicable to a market infrastructure institution in an IFSC shall continue to be in force unless and until they are superseded by any regulations or circulars or guidelines by the Authority.

INJETI SRINIVAS, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./43/2021-22]